



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128592

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 11339 वर्ष 2008 (मुख्य)

मो. इस्माइलआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्यविपक्षीगण

साथ में : (संबद्ध)

1. बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अंतर्गत आवेदन संख्या 16326 वर्ष 2025:

मो. इस्लाम

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

आवेदक के अधिवक्ता : कुलदीप सिंह चाहर

विपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

आपराधिक विविध विलंब क्षमा प्रार्थना पत्र संख्या 3 वर्ष 2025 के संबंध में

1. धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या 11339 वर्ष 2008 में आदेश दिनांक 2.12.2021 को वापस लेने हेतु विलंब क्षमा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किया जाता है।

आपराधिक विविध पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र संख्या 3 वर्ष 2025 के संबंध में

2. चूंकि आवेदन को पुनर्स्थापित करने के लिए अपनाए गए आधार पर्याप्त हैं और उन्हें उचित रूप से स्पष्ट किया गया है, इसलिए पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
3. व्यतिक्रम/पैरवी के अभाव में आवेदन को खारिज करने वाले आदेश दिनांक 2.12.2021 को वापस लेकर इसे इसके मूल क्रमांक पर पुनर्स्थापित किया जाता है।

आवेदन पर आदेश

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. मुख्य और संबद्ध आवेदनों में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री कुलदीप सिंह चाहर तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अनुज कुमार मिश्रा को सुना गया।
5. मुख्य आवेदन थाना कर्नलगंज, जिला इलाहाबाद के वाद संख्या 643 वर्ष 1997, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 201, 120-बी के अंतर्गत है, में दाखिल आरोप-पत्र के साथ-साथ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद, जिला इलाहाबाद के न्यायालय में लंबित वाद संख्या 748 वर्ष 2004 (राज्य बनाम विश्वेश्वर नाथ), जो भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 467, 471, 120-बी के अंतर्गत है, की आगे की कार्यवाहियों को निरस्त (रद्द) करने के लिए प्रस्तुत किया गया है।

6. उक्त याचिका में, दिनांक 13.5.2008 को निम्नलिखित आदेश पारित किए गए थे:-

"आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान मामले में आवेदकों के पक्ष में शस्त्र लाइसेंस जारी किया गया था, बाद में यह पाया गया कि कुछ जालसाजी की गई थी। आवेदक ने कोई जालसाजी नहीं की है।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं और उन्हें चार सप्ताह का समय प्रदान किया जाता है।

विपक्षी संख्या 2 को चार सप्ताह की अवधि के भीतर वापसी योग्य नोटिस जारी करें।

आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलों के दृष्टिगत, विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद के न्यायालय में लंबित थाना कर्नलगंज, जिला इलाहाबाद के सी.बी. वाद संख्या 643 वर्ष 1997, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 201, 120-बी के अंतर्गत है, में आगे की कार्यवाहियां सूचीकरण की अगली तिथि तक स्थगित रहेंगी।

जुलाई, 2008 के महीने में सूचीबद्ध करें।"

7. हालांकि, उक्त याचिका दिनांक 2.12.2021 को व्यतिक्रम में खारिज हो गई थी और निम्नलिखित आदेश पारित किए गए थे:-

"विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के अतिरिक्त कोई उपस्थित नहीं है।

मामला वर्ष 2008 से संबंधित है। ऐसा प्रतीत होता है कि समय व्यतीत होने के कारण या तो वाद कारण अब अस्तित्व में नहीं है या किसी अन्य कारण से मामला निष्फल हो गया है और यही कारण है कि इस आवेदन पर जोर देने के लिए कोई उपस्थित नहीं है।

उपरोक्त के दृष्टिगत, यह आवेदन अभियोजन (पैरवी) के अभाव में खारिज किया जाता है।

अंतरिम आदेश, यदि कोई हो, समाप्त माना जाता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



हालांकि, यह प्रावधान किया जाता है कि यदि वाद कारण अभी भी अस्तित्व में है, तो आवेदक आदेश को वापस लेने के लिए उचित आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

आदेश को तत्काल संबंधित न्यायालय को प्रमाणित करें।”

8. तत्पश्चात, दिनांक 12.5.2023 को गैर-जमानती वारंट जारी किए गए, जिसके कारण संबद्ध याचिका प्रस्तुत की गई, जिसमें दिनांक 9.5.2025 को निम्नलिखित आदेश पारित किए गए थे:-

“आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री कुलदीप सिंह चाहर और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता सुश्री सौम्या मध्यान उपस्थित हैं।

बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अंतर्गत वर्तमान आवेदन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महोबा द्वारा आपराधिक वाद संख्या 748 वर्ष 2004 (राज्य बनाम मो. इस्लाम और अन्य), जो थाना कर्नलगंज, जिला इलाहाबाद के अपराध संख्या 804 वर्ष 1997, भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 468, 471, 201 और 120-बी से उत्पन्न है, में पारित आदेश दिनांक 12.5.2023 को निरस्त करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 27.05.1997 झूठे और निराधार आरोपों के आधार पर गुप्त उद्देश्य से और केवल आवेदक को परेशान करने के लिए दर्ज की गई है। यह आगे निवेदन किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या 11339 वर्ष 2008 दायर किया गया है, जिसमें इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आवेदक को संरक्षण प्रदान किया गया था और इसे दिनांक 2.12.2021 को पैरवी के अभाव में खारिज कर दिया गया था। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त मामले में पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए समय चाहते हैं।

प्रथम दृष्टया, मामला विचारणीय है।

प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से नोटिस विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या 2 को शीघ्र वापसी योग्य नोटिस जारी करें।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और साथ ही प्रत्यर्थी संख्या 2 तीन सप्ताह के भीतर अपने जवाबी हलफनामे प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रत्युत्तर हलफनामा उसके बाद एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है।

11.09.2025 को नए मामले के रूप में प्रस्तुत करें।

सूचीकरण की अगली तिथि तक, उपरोक्त मामले के आक्षेपित आदेश दिनांक 12.5.2023 का प्रभाव और प्रवर्तन आवेदक के विरुद्ध स्थगित रहेगा।”

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



9. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आवेदक निर्दोष है और उसने कोई अपराध नहीं किया है तथा उसे झूठा फंसाया गया है, विशेष रूप से तब जब उसके विरुद्ध कोई भी अपराध नहीं बनता है क्योंकि उसका इससे कोई संबंध नहीं है। हालांकि, उनका निवेदन है कि चूंकि आवेदक निचली अदालत से उन्मोचन (डिस्चार्ज) की मांग करते हुए उन्मोचन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का इरादा रखता है, इसलिए जब तक उन्मोचन प्रार्थना पत्र तय नहीं हो जाता, तब तक संबंध आवेदन में दिनांक 9.5.2025 को आवेदक को प्रदान किया गया संरक्षण जारी रखा जाए।
10. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता का निवेदन है कि जो भी हो, आवेदक ने अपराध किया है और इसीलिए आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है और जब आवेदक के पास उन्मोचन की मांग करने का वैधानिक अधिकार उपलब्ध है, तो उसके लिए उन्मोचन की मांग करना हमेशा खुला है।
11. बार में प्रस्तुत की गई दलीलों को सुनने के बाद और अपने मुवक्किल से प्राप्त निर्देशों के अनुसार आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिए गए रुख को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक उन्मोचन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा, मुख्य और संबंध आवेदनों का निस्तारण निम्नलिखित शर्तों पर किया जा रहा है:-
- (क) आवेदक थाना कर्नलगंज, जिला इलाहाबाद के अपराध संख्या 643 वर्ष 1997 से उत्पन्न आपराधिक वाद संख्या 748 वर्ष 2004 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मो. इस्लाम और अन्य), जो भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 468, 471, 201, 120-बी के अंतर्गत है, में उन्मोचन की मांग करते हुए 24.7.2026 तक निचली अदालत के समक्ष एक उन्मोचन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा।
 - (ख) उक्त प्रस्ताव पर, सक्षम न्यायालय उसके बाद दो महीने की अवधि के भीतर उन्मोचन प्रार्थना पत्र पर निर्णय लेगा।
12. जब तक उन्मोचन प्रार्थना पत्र तय नहीं हो जाता, तब तक आवेदक के विरुद्ध कोई दंडात्मक (उत्पीड़नात्मक) कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. आज प्रदान किया गया संरक्षण केवल तभी उपलब्ध होगा जब आवेदक इस न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करेगा, और यदि निर्धारित नियमों और शर्तों का कोई उल्लंघन होता है, तो प्रदान किया गया संरक्षण पीठ के संदर्भ में समाप्त माना जाएगा।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

22 जून, 2026

विकास वर्मा

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"